


न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल खण्ड पीठ रोवा जिला रोवा म०प्र०



सि 634-11/12

ब्रजभूषण राम पिता श्री गंगाराम उमे 90 वर्ष निवासी डाढा पी०

चन्द्रपुर ११ खुर्द १ तहसील त्यौथर जिलारोवा म०प्र०

— अपीलार्थी

बनाम

रामानुज राम तनय श्री गंगाराम ११ मृतक ११

1- कमलेश्वर

2- धनश्याम

3- राधेश्याम

जिला रोवाम०प्र०

तीनों के पिता स्व० रामानुजराम सभी निवासी
ग्राम डाढा पोस्ट चन्द्रपुर खुर्द तहसील त्यौथर

— प्रत्यर्थागण

माननीय विद्वान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

११ पीठ रोवा ११ श्री एम०के० सिंह ११ द्वारा अपील
क्र०- 642/95 में पारित आदेश दिनांक 24-01-

के विरुद्ध म०प्र० श्रुता० संहिता की धारा 51
सहपठित धारा शिव०प्र०संक के आदेश 47 नियम
1 के अधीन पुर्नचिन्तन ।

अपीलार्थी की ओर से विज्ञप्त निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

// संक्षिप्त विवरण //

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरणवर्ष 1995 से

लम्बित है अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ था। प्रकरण

3.3.12
6.3.12

श्री राज नारायण सिंह
अधीनस्थ कोर्ट अ० ए०
29/2/12

11/2-1
र०
29.2.12


Handwritten mark

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-Rev.634-II/12

जिला-रीवा

बृजभूषण राम/रामानुज वगैरः

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M